यूको बैंक
UCO BANK

असाधारण आम बैठक हेतु नोटिस
मंगलवार, 12 दिसंबर, 2017
पूर्वाह्न 10.00 बजे

NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Tuesday, 12th December, 2017
10.00 A.M.

प्रधान कार्यालय : 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001
Head Office : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001
वेबसाइट / Website : www.ucobank.com

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय: 10, बी.टी.एम.सरणी, कोलकाता-700001
Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700001

सूची/INDEX	पृष्ठ सं./Page No.
नोटिस/Notice	3
व्याख्यात्मक विवरण, योग्यता मानदण्ड / नामांकन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया Explanatory Statement(s)/ Eligibility Criteria/ Procedure for submission of nomination	3-12
नामांकन फार्म /Nomination Form	29
घोषणा पत्र /Declaration	31
व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचनपत्र Personal Information, Declaration and Undertaking	35
परोक्षी फार्म /Proxy Form	44
उपस्थिति पंजी सह प्रवेश-पत्र सह मत-पत्र पास Attendance Slip- cum- Entry Pass- cum Ballot Paper Pass	45

महत्वपूर्ण तिथियां / कार्यक्रम / IMPORTANT DATES / PROGRAMME

निर्वाचन में भाग लेने एवं कार्यसूची मदों पर मत देने हेतु शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के लिए अंतिम तिथि Cut- off Date for ascertaining the Shareholders eligibility to participate in the election and vote on Agenda items of the meeting	शुक्रवार, 27 अक्तूबर, 2017 Friday, the 27th October, 2017
नामांकन फार्म प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि Last Date for submission of Nomination form	सोमवार, 27 नवंबर, 2017 Monday, the 27th November, 2017
नामांकन (नों) की संवीक्षा Scrutiny of nomination(s)	मंगलवार, 28 नवंबर 2017 Tuesday, the 28th November 2017
नामांकन वापस लेना Withdrawal of Nomination	शुक्रवार 8 दिसंबर, 2017 अपराह्न 05.00 तक, या उससे पहले On or before Friday, the 8th December 2017 upto 05.00 p.m.
ई-वोटिंग E- voting	शनिवार, 9 दिसंबर, 2017 ,पूर्वाह्न 9.00 बजे से सोमवार,11 दिसंबर, 2017 को अपराह्न 05.00 बजे तक From 9.00 a.m. on Saturday, the 9th December 2017 to 05.00 p.m. on Monday, the 11th December, 2017
प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए संकल्प एवं परोक्षी फार्म प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि Last Date for receipt of proxy form and resolutions for appointing authorized representatives	गुरुवार, 7 दिसंबर, 2017 Thursday, the 7th December, 2017
असाधारण आम बैठक की तिथि, समय और स्थान Date, time and place of Extraordinary General Meeting	मंगलवार, 12 दिसंबर, 2017, पूर्वाह्न 10.00 बजे, भाषा भवन ऑडीटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027 Tuesday, the 12th December, 2017 at 10.00 a.m. At Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालयः 10, बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता-700001

सूचना

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक मंगलवार, दिनांक 12 दिसंबर, 2017 को पूर्वाह्न 10.00 बजे भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड. अलीपुर, कोलकाता - 700 027 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगीः

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) सह - पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे इसके बाद 'योजना' कहा जाएगा) तथा यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) संशोधन विनियमन, 2003 (जिसे इसके बाद 'विनियमन' कहा जाएगा) को अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में, साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी.बीसी. नं. 46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नंवबर, 2007 के साथ पठित डीबीओडी.बीसी. नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 एवं भारतीय रिजर्व बैंक की सं.डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.नं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 एवं आगे इसमें किसी प्रकार के किए गए संशोधन (जिसे इसके बाद 'आरबीआई की अधिसूचना' कहा जाएगा) एवं भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.नं. 16/83/2013-बीओ.I दिनांक 3 सितंबर, 2013, एफ.नं. 16/51/2012 - बीओ I दिनांक 28 अप्रैल, 2015 एवं दिनांक 20 जुलाई, 2016 एवं दिनांक 25 मार्च, 2015 के सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए गैर सरकारी निदेशक की नियुक्ति हेतु भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित मानदंडों के साथ पठित (जिसे इसके बाद "सरकार का दिशा निर्देश कहा जाएगा") के अनुरूप निम्नलिखित संकल्प पारित करके बैंक के शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अलावा) में से **एक** निदेशक का चुनाव :

"यह संकल्प किया जाता है कि उक्त योजना, उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमन और आरबीआई अधिसूचना के साथ पठित, अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से चुने गए एक निदेशक को बैंक के निदेशक का कार्यभार प्रदान करने के लिए इसके द्वारा नियुक्त जाता है तथा इसे मान्य किए जाने की तारीख से अगले तीन वर्षों की अवधि पूरी होने तक वे इस पद पर बने रहेंगे।"

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता/-

(आर. के. टक्कर)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता

दिनांकः 26-10-2017

नोट :

- **व्याख्यात्मक विवरण :**

  बैठक की कार्यवाही के संबंध में मूलभूत तथ्यों को निरूपित करनेवाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न किया जाता है।

- **परोक्षी की नियुक्ति :**

  बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए हकदार शेयरधारक अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी परोक्षी को नियुक्त करने का भी हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का कोई शेयरधारक ही हो।

  बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

  परोक्षी फार्म के प्रभावी होने के लिए यह जरूरी है कि वह बैंक के शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता- 700 001 के पास असाधारण आम बैठक की तारीख से कम-से-कम **चार दिन** पूर्व यानी गुरुवार, 7 दिसंबर, 2017 को बैंक की कार्य-समाप्ति यानी 5.00 बजे तक या उसके पूर्व प्राप्त हो जाए।

यूको बैंक UCO BANK

Head Office : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

NOTICE

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of UCOBANK will be held on Tuesday, the 12th December, 2017 at 10.00 A.M. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700 027 to transact the following business :

To elect **ONE** Director from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and UCO Bank (Shares & Meetings) Amendment Regulations, 2003 (hereinafter referred to as the "Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification No. DBOD No.BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 read with the DBOD.BC. No.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011 of Reserve Bank of India and No.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November, 2016 of Reserve Bank of India and further amendment thereto if any (hereinafter referred to as"RBI Notification") and Notification No.F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013, F.No.16/51/2012-BO.I dated 28th April, 2015 and dated 20th July, 2016 of Government of India read with criteria laid down by the Government of India for consideration as Non-Official Director of Public Sector Banks on March 25, 2015 and further amendment thereto if any(hereinafter referred to as the "Government Guidelines")by passing the following resolution:-

"RESOLVED THAT one Director elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI Notification and Government Guidelines, be and is hereby appointed as the Director of the Bank to assume office from the date following the date on which he/she is elected/deemed to be elected and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

By Order of the Board Directors

sd/-

Place : Kolkata
Date : 26-10- 2017

(R. K. Takkar)
Managing Director & CEO

NOTES

- **Explanatory Statement :**

  The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

- **Appointment of Proxy :**

  A Shareholder entitled to attend the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/ herself and such proxy need not be a shareholder of the Bank.

  As per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003, an employee or officer of UCO Bank cannot be appointed as proxy.

  The Proxy Form, in order to be effective, must be received at UCO Bank, Head Office, share section, Finance Department, 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata - 700 001 not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. upto 5 P.M. on Thursday, the 7th December, 2017.

- **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :**

  कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारक किसी कंपनी या किसी भी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने या मतदान करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करनेवाले संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति हो जिसमें संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता- 700 001 में असाधारण आम बैठक की तारीख से कम-से-कम **चार दिन** पूर्व यानी गुरुवार, 7 दिसंबर, 2017 को बैंक की कार्य-समाप्ति यानी 5.00 बजे तक या उसके पूर्व प्राप्त न हो जाए।

  कृपया नोट करें कि बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

- **उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र :**

  शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों /परोक्षीधारकों /प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए खाली स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उसे बैठक स्थल पर जमा करें एवं उसके बाद उन्हें प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, साथ ही ई-पोल/इंस्टा पोल हेतु एकबारगी पासवर्ड दिया जाएगा। शेयरधारकों के परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में यथास्थिति 'परोक्षी' या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' लिखें।

  शेयरधारक/परोक्षीधारक/प्राधिकृत प्रतिनिधि कृपया नोट करें कि आप अपने साथ वैध पहचान पत्र यथा निर्वाचन कार्ड/नियोक्ता पहचान कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड आदि अवश्य रखें क्योंकि समुचित पहचान के बाद ही उन्हें भीतर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

  ई-पोल /इंस्टा पोल के समय प्रवेश पत्र सुपूर्द कर देना होगा एवं बैठक की समाप्ति तक 'एकबारगी पासवर्ड (ओटीपी)' की पर्ची अपने साथ रखना होगा।

- **रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार**

  शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पंजीकृत पते या अन्य किसी प्रकार के विवरण में परिवर्तन से संबंधित सूचना, यदि कोई हो, सीधे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

  मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
  (यूनिट : यूको बैंक)
  कार्वी सेलेनियम टावर बी,
  प्लॉट सं. 31 एवं 32, गचीबावली,
  फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा,
  सेरीलिंगापल्ली,
  हैदराबाद - 500 032

  इलेक्ट्रानिक माध्यम से शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पंजीकृत डाक पते एवं ईसीएस मेंडेट में किसी प्रकार के परिवर्तन होने पर इसकी सूचना केवल संबंधित निक्षेपागार सहभागी (गियों) को दें।

- **मतदान में सहभागिता करने हेतु शेयरधारकों की पात्रता**

  बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) **(i)** एवं इस संबंध में अन्य लागू विधि, नियमों, विनियमों, भरतीय रिजर्व बैंक के निदेशों तथा भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में केंद्र सरकार के अतिरिक्त बैंक के शेयरधारकों में से निदेशक के चुनाव में सहभागिता **(नामांकन, प्रतियोगिता एवं वोट)** करने हेतु शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक ने शुक्रवार, 27 अक्तूबर, 2017 तारीख निर्धारित किया है।

  वैसे शेयरधारक जिनके नाम 27 अक्तूबर, 2017 **तक** एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुसार सदस्यों/ हिताधिकारियों के रजिस्टर में दर्ज हैं वे सहभागिता करने यानी केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में किसी को नामित करने एवं लड़ने के लिए पात्र होगें।

- **Appointment of an Authorized Representative :**

  No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at UCO Bank, Head Office, Share Section, Finance Department, 2, India Exchange Place, 3rd Floor, Kolkata - 700 001, not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank upto 5 p.m. on Thursday, the 7th December, 2017.

  An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

- **Attendance Slip-cum-Entry Pass :**

  For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/ Proxy holders/ Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue and thereafter entry pass shall be issued to them along with One Time Password for E-Poll/Insta Poll. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

  Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification/checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card/Employer Identity Card/Pan Card/Passport/Driving License/Aadhar Card, etc.

  The Entry Pass shall be surrendered at the time of E-Poll/Insta Poll and slip of 'One Time Passward (OTP)'to be retained till the conclusion of the meeting.

- **Communication with Registrar & Share Transfer Agent:**

  Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

  M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd.
  (Unit: UCO Bank)
  Karvy Selenium Tower B
  Plot No.31 & 32, Gachibowli,
  Financial District, Nanakramguda,
  Serillingampally,
  Hyderabad - 500 032

  Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and ECS mandate details only to their respective Depository Participant(s).

- **Eligibility of the Shareholders to Participate in the election**

  The Bank has fixed Friday, the 27th October, 2017 as the Cut-off Date for the purpose of ascertaining eligibility of the shareholders to participate **(nominate, contest and vote)** in the election of Director from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government pursuant to Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and other applicable laws, rules, regulations, Reserve Bank of India Guidelines and Govt. of India Guidelines in this regard.

  Such of those shareholders whose names appear on the register of members/beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL as on 27th October, 2017 shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

- **बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अपेक्षित योग्यता**

  (क) अधिनियम की धारा 9 (3ए) के अनुसार बैंक के किसी शेयरधारक और अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के इच्छुक प्रत्याशी को :

  ➢ निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक विषय का ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए **:**

  ✓ कृषि या ग्रामीण अर्थव्यवस्था

  ✓ बैंकिंग

  ✓ सहकारिता

  ✓ अर्थशास्त्र

  ✓ वित्त

  ✓ विधि

  ✓ लघु उद्योग

  ✓ किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव, जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो।

  ✓ जो जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा

  ✓ किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो।

  (ख) अधिनियम की धारा 9 (3एए) की शर्तों के अनुसार बैंक का कोई शेयरधारक उम्मीदवार जो बैंक का निदेशक बनने के इच्छुक हो, उसे अधिसूचना में वर्णित मानदंड के अनुसार 'उपयुक्त एवं समुचित' हैसियत वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचित निदेशकों को संविदा विलेख निष्पादित करना होगा तथा उन्हें इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

- **बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु अयोग्यताएं :**

  राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 10 की शर्तों के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगा :

  ✓ यदि वह, किसी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोका हो या प्रशमन किया हो, अथवा

  ✓ यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो या उसे किसी सक्षम न्ययालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा

  ✓ यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया हो, जिसमें नैतिक चरित्रहीनता भी शामिल है, अथवा

  ✓ यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम,1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी लाभ का पद धारण करता है/करती है, इसके सहित कि वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत एवं बैंक के कर्मचारियों में से नामित किए गए प्रबंध निदेशक तथा निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करता/करती है एवं

- यदि वे भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं.डीबीओडी.सं.बीसी सं. 46/29.39.001/2007-08 तथा डीबीओडी सं.47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 एवं डीबीओडी.सं.बीसी सं.95/ 29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के साथ पठित सं.डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.सं.39/ 29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 एवं आगे कोई संशोधन होता है तथा 25 मार्च, 2015 को गैर सरकारी निदेशक के रूप में विचारार्थ भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित मानदंड के साथ पठित भारत सरकार के अधिसूचना सं.एफ सं.16/ 83/2013 –बीओ.आई दिनांक 3 सितंबर, 2013, एफ सं.16/ 51/2012 –बीओ.आई दिनांक 28 अप्रैल, 2015 एवं 20 जुलाई, 2016 के अनुसार बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा "उपयुक्त एवं समुचित" व्यक्ति नहीं पाए जाते हैं।

Qualifications required for being elected as a Director of the Bank

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

- Have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely :-
  - ✓ Agriculture and rural economy
  - ✓ Banking
  - ✓ Co-operation
  - ✓ Economics
  - ✓ Finance
  - ✓ Law
  - ✓ Small scale industry
  - ✓ Any other matter the special knowledge of and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.
  - ✓ Represents the interest of depositors; or
  - ✓ Represents the interest of farmers, workers and artisans

(b) In terms of Section 9(3AA) of the Act a candidate being a shareholder of the Bank desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status. Further, the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

- **Disqualifications from being elected as a Director of the Bank**

  In terms of Clause 10 of the Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director

  - ✓ If he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
  - ✓ If he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
  - ✓ If he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
  - ✓ If he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and

- If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India - DBOD.No.BC.No.46/29.39.001/2007-08 and No.DBOD.BC.No.47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 read with No.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November 2016 of Reserve Bank of India and further amendment thereto if any and Notification No.F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013, F.No.16/51/2012-BO.I dated 28th April, 2015 and dated 20th July, 2016 of Government of India read with criteria laid down by the Government for consideration as Non-Official Director of Public Sector Banks on March 25, 2015.

- **शेयरधारकों की सूचीः**

  जैसा कि यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) संशोधन विनियमन, 2003 के विनियम 64 यथासांशेधित में वर्णित है, शेयरधारकों की सूची की एक प्रति (इलेक्ट्रानिक रूप में अर्थात् सीडी) महाप्रबंधक, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, वित्त विभाग, 2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता-700001 के पास 6 नवंबर, 2017 से उपलब्ध होगी और वह यूको बैंक के पक्ष में कोलकाता में देय रु. 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) के मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश द्वारा शेयरधारकों के लिए खरीद हेतु उपलब्ध होगी। इच्छुक उम्मीदवार को उपर्युक्त सूची खरीदने के लिए यह वचन पत्र देना होगा कि उक्त सूची का उपयोग चुनाव में प्रचार के लिए किया जाएगा तथा उसका कोई अन्यथा उपयोग नहीं किया जाएगा।

  शेयरधारकों का रजिस्टर शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, 2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तृतीय तल, कोलकाता 700001 में सभी कार्य दिवसों में (रविवार एवं बैंक अवकाश को छोड़कर) यानी सोमवार से शनिवार तक प्रातः 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

  यदि कोई शेयरधारक उपर्युक्त की प्रति या चयनित/अंश की कंप्यूटर द्वारा मुद्रित प्रति चाहता है तो उसे संबद्ध अंश के प्रत्येक 1000 शब्दों अथवा उसके भाग जिसकी प्रतियां निकाली जाती हैं, के लिए रु. 5/- (रूपये पांच मात्र) की दर से राशि का पूर्व भुगतान करने पर प्रदान किया जाएगा।

- **चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन**

  विनियमन के विनियम 57 के अनुसार एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी.सं.बीसी.सं. 46/29.39.001/2007-08 एवं डीबीओडी.सं.बीसी.सं. 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 के साथ पठित अधिसूचना सं. डीबीओडी.बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 एवं भारत सरकार के निदेशों तथा विभिन्न अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिदेशों के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में चयन हेतु उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा बशर्तेः

  ✓ निर्वाचन में सहभागिता हेतु शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के प्रयोजन से निर्धारित नियत/रिकॉर्ड तिथि 27 अक्तूबर, 2017 को उसकी शेयरधारिता बैंक के 100 (एक सौ) शेयरों से कम न हो जो कि उसके पास बैठक की तिथि तक बने रहें और उसके बाद यदि वह निर्वाचित होता/होती है तो उसके कार्यकाल की समाप्ति तक न्यूनतम 100 शेयर उसके पास रहने चाहिए।

  ✓ नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर, 2017 को यथास्थिति वह अधिनियम/योजना/विनियम/भारिबैं अधिसूचना/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निदेशक बनने के अयोग्य न हुआ हो।

  ✓ अधिनियम के अंतर्गत निदेशक चुनने के हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों अथवा उनके द्वारा विधिवत गठित अटर्नी द्वारा लिखित रुप में हस्ताक्षरित नामांकन, बशर्ते शेयरधारक जो एक कंपनी है, का नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जाए और जहां ऐसा संकल्प किया जाता है वहां उस बैठक के, जहां इसे पारित किया गया था, अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की सही प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को महाप्रबंधक, यूको बैंक, वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, 2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता-700001 को संबोधित करते हुए प्रेषित की जाएगी एवं ऐसी प्रति कंपनी के पक्ष में नामांकन समझा जाएगा।

  ✓ शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा नामांकन के साथ घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए और उम्मीदवार द्वारा न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट/आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी/भारतीय रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी/किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित यह घोषणा कि **(I)** वह नामांकन स्वीकार करता/करती है और निर्वाचन में भाग लेने का/की इच्छुक है, **(II)** वह बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 या बैंककारी कंपनि (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1970 या यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) संशोधन विनियम, 2003 एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अधिसूचना सं. डीबीओडी.बीसी.नं. 46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा गैर सरकारी निदेशकों के लिए यथालागू भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक बनने के अयोग्य नहीं हुआ/हुई है।

- **List of Shareholders**

As provided in Regulation 64 of the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e. (C.D) will be available from the General Manager, UCO Bank,Head Office,Finance Department, No. 2 India Exchange Place, Kolkata-70000 from 6th November, 2017 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs,50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) by Demand Draft/Pay Order in favour of UCO Bank payable at Kolkata. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Shares Section, Finance Department, Head Office, 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata - 700 001 on all working days (other than Bank Holidays) i.e. Monday to Saturday between 11 a.m. to 4 p.m.

If any shareholder requires a copy or computer print of select/part information of the same shall be supplied to him on prepayment at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

- **Nomination of Candiates for Election:**

In terms of Regulation 57 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India DBOD No.BC.No.46/29.39.001/2007-08 and DBOD No.BC.No.47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and GOI guidelines and other applicable provisions of various Acts, Rules, Regulations and guidelines, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided.:

✓ He /she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of UCO Bank as on 27th October, 2017, being the cut-off date of reckoning for participation in the election, either in physical or demat mode, and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.

✓ As on 27th November, 2017, being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be Director under the Act/Scheme/Regulation/RBI Notifications/GOI Guidelines

✓ The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Director under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where is it so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the General Manager, UCO Bank Finance Department, Head Office, 2, India Exchange Place, Kolkata - 700 001 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

✓ The nominations by shareholders (minimum 100) is accompanied by a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank that (i) he /she accepts the nomination and is willing to stand for election, (ii) he/she is not disqualified under Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or UCO Bank (Shares and Meetings) Amendments Regulations, 2003 and Notification No. DBOD.BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 of Reserve Bank of India and GOI guidelines as applicable to Non-official Directors

✓ The nomination forms shall be accompanied with his /her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his/her knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

- ✓ नामांकन फार्म के साथ उसका विधिवत हस्ताक्षरित व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) और इस आशय की पुष्टि होनी चाहिए कि ऐसे विवरण उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और उसकी यह वचनबद्धता कि वह इस घोषणा के बाद ऐसी कोई भी घटना, जो इस सूचना से संगत हो, बैंक को यथाशीघ्र पूर्णतया सूचित करेगा/करेगी।
- ✓ नामांकन फार्म एवं घोषणा फार्म विनियम द्वारा यथानिर्धारित और इस नोटिस के साथ संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार है। (यह प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर भी उपलब्ध है)

- **नामांकन फार्मों की प्रस्तुतिः**

शेयरधारकों में से बैंक के निदेशकों के चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को (केंद्र सरकार को छोड़कर) शेयरधारकों में से बैंक के निदेशकों के चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को (केंद्र सरकार को छोड़कर) नामांकन फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को बंद लिफाफे में महाप्रबंधक, वित्त विभाग, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता-700001को असाधारण आम बैठक की निर्धारित तारीख अर्थात 27 नवंबर, 2017 को अपराह्न 5.00 बजे तक या इसके पूर्व से कम से कम चौदह दिन पूर्व किसी भी कार्यदिवस को प्रस्तुत करना होगा।

- ✓ यथानिर्धारित प्ररूप में विधिवत रूप से भरा गया घोषणा पत्र;
- ✓ निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम 100 शेयरधारकों से नामांकन;
- ✓ इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा पत्र तथा वचन पत्र, जिसके साथ संबंधित दस्तावेज, प्रमाणपत्र अर्थात स्व सत्यापित बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र, अनुभव आदि संलग्न हो।

  नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप में अपने नामांकन को उपर्युक्त पते पर सुनिश्चित करना होगा। निर्धारित तारीख एवं समय के पश्चात नामांकन प्रस्तुत करने पर अमान्य होगा।

  उपर्युक्त नामांकन फार्म व अन्य दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए और ऐसा न होने पर नामांकन अस्वीकृत किया जा सकता है।

- **नामांकनों की जांच तथा निदेशकों का चुनाव**
  - ✓ नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित तिथि के बाद के प्रथम कार्य दिवस अर्थात् 28 नवंबर 2017 को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसका कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
  - ✓ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 01.11.2007, 23.05.2011 एवं 24.11.2016 को जारी 'उपयुक्त व समुचित' दिशानिर्देशों के तहत तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जांच के अध्यधीन होगा।
  - ✓ नामांकनों की संवीक्षा के समय या नामांकन समिति मण्डल के सलाह पर बैंक, उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी के समर्थन में अन्य/अधिक सूचनाएँ, दस्तावेज़ आदि मांग सकता है।
  - ✓ यदि चुनाव के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों हेतु केवल एक वैध नामांकन प्राप्त हो तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी उसी समय से निर्वाचित समझे जाएंगे और उनका नाम तथा पता निर्वाचित निदेशक के रूप में प्रकाशित होगा। नव निर्वाचित निदेशक अगले दिन को कार्य ग्रहण करेंगे।
  - ✓ यदि एक से ज्यादा वैध नामांकन प्राप्त हों तो चुनाव किया जाएगा और चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करनेवाले प्रत्याशी निर्वाचित माने जाएंगे और उनके नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे।

- **नामांकन वापस लेना**

कोई भी उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी दिनांक 8 दिसंबर, 2017, शाम 5.00 बजे तक/या उससे पहले पत्र या फैक्स भेजकर वापस ले सकता है।

➢ **इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान**

- ✓ कंपनियाँ (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, असाधारण आम बैठक में बैंक के शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों (रिमोट ई-मतदान) द्वारा मतदान करने की सुविधा देना बाध्यकारी है।

- ✓ The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation notification and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website www.ucobank.com)

- **Submission of Nomination forms**

  Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit nomination forms comprising the following documents in a sealed envelope to the General Manager, Finance Department, UCO Bank, Head Office, 2, India Exchange Place, Kolkata - 700 001 on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e. on or before 5.00 p.m., on 27th November, 2017:

  - ✓ Duly filled in Declaration Form as per the prescribed format;
  - ✓ Nominations from minimum of one hundred shareholders entitled to participate in the election;
  - ✓ Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz. Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc. in the formats annexed to the Notice.

  The candidates filing nominations shall ensure to submit their nomination papers only at the above mentioned address. Nominations submitted after the stipulated date and time will be rejected.

  The said nomination forms and other documents should be completed in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

- **Scrutiny of Nominations and Election of Directors :**

  - ✓ Nominations shall be scrutinized on 28th November, 2017, the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
  - ✓ Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated 01.11.2007, 23.05.2011 and 24.11.2016 issued by the Reserve Bank of India and relevant Government of India guidelines.
  - ✓ The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination Committee of the Board seek further information, documents from the candidates in support of his / her candidature.
  - ✓ If there is only One valid nomination for the vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. The newly elected director will assume office the next day.
  - ✓ If there are more than one valid nominations, election will be held and candidate polled majority of the votes at the election will be deemed to have been elected and his name will be published in newspapers.

- **Withdrawal of Nominations**

  The candidate may withdraw his/her candidature by sending a letter or fax at any time on or before 5.00 p.m on 8th December 2017.

  - ➢ **Voting through Electronic Means**

    - ✓ Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, it is mandatory to extend to the shareholders of the Bank, the facility to vote at the Extraordinary General Meeting by electronic means (remote e-voting).

- ✓ तदनुसार, निदेशक के चुनाव के लिए मतदान सीधे हाथ से नहीं डाला जाएगा बल्कि रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया /गुप्त मतदान यानी इंस्टा पोल के माध्यम से की जाएगी।
- ✓ केवल वहीं व्यक्ति ई-मतदान /इंस्टा मतदान करने के पात्र होंगे जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं या जिनके नाम ई-मतदान के लिए निर्धारित तारीख यानी दिनांक 27 अक्तूबर, 2017 तक निक्षेपकों द्वारा तैयार हिताधिकारियों के रजिस्टर में दर्ज हैं।
- ✓ रिमोट ई-मतदान दिनांक 9 दिसंबर, 2017 को प्रातः 9 बजे से दिनांक 11 दिसंबर, 2017 को संध्या 5 बजे तक होगा और रिमोट ई-मतदान निर्धारित तारीख एवं समय के बाद नहीं होगा। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक जो ई-मतदान के लिए निर्धारित तारीख को मूर्त रूप में या अमूर्त रूप में शेयरधारण किए हुए हैं वे इलेक्ट्रानिक माध्यम से मत डाल सकते हैं। इसके बाद कर्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि. द्वारा ई-मतदान मड्यूल बंद कर दिया जाएगा।

- **मतदान का अधिकार**
  - ✓ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2ई) के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के **दस प्रतिशत** से ज्यादा मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा, भले ही उसके पास कितने भी शेयर हों।
  - ✓ उपर्युक्त के अधीन, अंतिम तारीख यानी 27 अक्तूबर, 2017 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक रिमोट ई-मतदान / पोल के माध्यम से मतदान में अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत पाने का अधिकारी होगा।
  - ✓ विनियमन के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या ज्यादा व्यक्तियों के नाम में हो, तो जहां तक मतदान का संबंध है, रजिस्टर में जिसका नाम पहले लिखा होगा उसे ही एकल धारक मान लिया जाएगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हो तो केवल पहला नामित व्यक्ति ही बैठक में उपस्थित होने का पात्र होगा और वही नामांकन करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने का हकदार होगा।
  - ✓ बैंक ने रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया के निष्पक्ष एवं पादर्शक ढंग से संचालित करने हेतु मेसर्स एस.एन.अनंतसुब्रहमनियन एण्ड कं., कंपनी सेक्रेटरी को संविक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

- **रिमोट ई-मतदान के निर्देश**

1. रिमोट ई-मतदान के लिए इस यूआरएल का उपयोग किया जाए:

   कार्वी वेबसाइट से: https://evoting.karvy.com
2. बैंक के शेयरधारक अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज करा सकते हैं, भले ही निर्दिष्ट तारीख को वे मूर्त रूप में अथवा अमूर्त रूप में शेयर धारित किए हुए हों।
3. लॉगइन विवरण (यानी एजीएम की सूचना की उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड) दर्ज करें। आपका फोलियो नं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी ही आपका यूज़र आईडी होगा।
4. सही तरीके से विवरण भरने के पश्चात लॉगइन पर क्लिक करें।
5. अब आप पासवर्ड बदलने वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना पड़ेगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिनमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (e-z) अक्षर, एक संख्या (0-9) और एक विशेष चिह्न होगा। सिस्टम द्वारा पहली बार लॉग इन करने पर पासवर्ड बदलने तथा संपर्क -विवरण, जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आदि को अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। आप गुप्त प्रश्न में जाकर अपने मन का उत्तर दर्ज कर सकते हैं जिससे यदि आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसे पुन:प्राप्त कर सकें। आपको सचेत किया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें एवं उसे गोपनीय रखने हेतु पूरी सावधानी बरतें।
6. आपको नए विवरण के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।
7. लॉगइन में सफल होने पर सिस्टम आपको 'इवेंट' यानी 'यूको बैंक' का चयन करने के लिए कहेगा।

- ✓ Accordingly, the voting for election of director will not be on the basis of show of hands but shall be done by remote e-voting/poll by means of a secret ballot i.e. insta poll.
- ✓ A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on Cut off Date i.e., 27th October, 2017shall be entitled to avail the facility of e-voting/Insta Poll.
- ✓ The remote e-voting period commences on 9 a.m. on 9th December, 2017 to 5 p.m. on 11th December, 2017 and the remote e-voting shall not be allowed beyond this date and time. During this period, the shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the e-voting cut off date i.e. 27th October, 2017 may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be blocked by Karvy Computershare Pvt. Ltd. for voting thereafter.

- **Voting Rights**
  - ✓ In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
  - ✓ Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the "Cut-off Date" i.e. on 27th October, 2017shall have one vote for each share held by him/her in Remote E-voting/voting through poll.
  - ✓ As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.
  - ✓ The Bank has appointed M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co, Company Secretaries, as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

- **Instruction for Remote E-voting**

1. To use the following URL, for Remote e-voting:

   From Karvy website: https://evoting.karvy.com

2. Shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Cut Off date, may cast their vote electronically.

3. Enter the login credentials (i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip of notice of AGM). Your Folio No./DP ID & Client ID will be your user ID.

4. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

5. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (e-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

6. You need to login again with the new credentials.

7. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., UCO Bank.

8. अंतिम तारीख यानी 27 अक्तूबर, 2017 को शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक संकल्प के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दे सकते हैं।
9. पुष्टि के लिए 'OK' पर या संशोधन करने हेतु 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद आपको अपने मत के पुनःसंशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक जितनी बार भी चाहें लॉगइन कर सकते हैं, जब तक वे मत न दे दिए हो।
10. विविध फोलियो/डी-मैट खाते रखनेवाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डी-मैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चुनाव करेंगे।
11. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर अपना मत दे देने पर बाद में उसे पुन: संशोधित करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
12. पोर्टल 9 दिसंबर 2017 को सुबह 9.00 बजे से लेकर 11 दिसंबर 2017 को शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा।
13. इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप शेयरधारकों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. से संपर्क कर सकते हैं।

असाधारण आम बैठक के स्थल पर मतदान/चुनाव :

रिमोट ई-मतदान के अलावा, मतदान उनके लिए भी आयोजित करवाया जाएगा जिन्होंने रिमोट ई-मतदान का अपना विकल्प नहीं लिया है। मतदान की शुरूआत इस आशय की घोषणा के तुरंत बाद कर दी जाएगी। मतों की संख्या शेयरधारकों द्वारा ई-मतदान की अंतिम तारीख यानी 27 अक्तूबर, 2017 को धारित शेयरों की संख्या के समतुल्य होगी बशर्ते बैंक के किसी भी शेयरधारक को बैंक के कुल शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक के उनके द्वारा धारित किसी शेयर के मामले में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

रिमोट ई-मतदान के नतीजों के साथ समन्वित मतदान का समग्र परिणाम बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंजों, यानी एनएसई एवं बीएसई एवं ई-वोटिंग एजेंसी (मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लि.) को भी सूचित किया जाएगा।

मतदान एवं चुनाव की सारी प्रक्रिया, स्वतंत्र संविक्षक जिसे बैंक इसी प्रयोजनार्थ नियुक्त किया है के साथ समन्वय करते हुए, बैंक द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

8. Those holding shares as on the Cut-off Date i.e., 27th October, 2017 can cast their vote in favour of or against the resolution.

9. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted.

10. Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios/demat account.

11. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

12. The Portal will be open for voting from: 9 a.m. on 9th December, 2017 to 5 p.m. on 11th December, 2017.

13. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of https://evoting.karvy.com or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd.

Voting/Polling at the Venue of EGM

Apart from remote e-voting, the voting shall also be conducted through electronic voting system (Insta Poll) for those who have not exercised their option of remote e-voting. The voting will commence immediately after an announcement in this regard is made. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-off Date i.e. 27th October, 2017 subject to the condition that no shareholder of the Bank, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

The Results of the voting at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be hosted on Bank's website and shall also be informed to the stock exchanges i.e., NSE & BSE and the e-voting agency (M/s. Karvy Computershare (P) Limited).

The entire process of Poll and election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank in coordination with Independent Scrutinizer(s) to be appointed for the said purpose by the Bank.

व्याख्यात्मक विवरण - कार्यसूची मद :

निदेशक का चुनाव :

अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के उपबंधों के संदर्भ में इस सत्य के होते हुए कि बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी का 16% परंतु 32% से कम आम जनता द्वारा धारित है, बैंक केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में दो निदेशकों का चुनाव कर सकता है।

निदेशक मंडल ने दो रिक्तियों में से एक ही रिक्ति को भरने एवं अन्य को रिक्त रखने का निर्णय लिया है क्योंकि श्री सोमेन रॉय चौधुरी द्वारा बैंक के विरुद्ध दीवानी मामला संख्या 212 वर्ष 2013 दायर किया है जिसका निस्तारण माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय में लंबित है। याचिकाकर्ता ने शेयरधारक निदेशक के रूप में चुनाव के लिए अपने "फिट और समुचित स्थिति" का निर्धारण करते हुए अपने नामांकन को बोर्ड नामांकन समिति द्वारा अयोग्य घोषित करने के निर्णय को चुनौती दी है।

तदनुसार बैंक दिनांक 12 दिसंबर, 2017 को असाधारण आम बैठक में शेयरधारक निदेशक के चुनाव करने का प्रस्ताव किया है।

अतएव, शेयरधारक (केंन्द्र सरकार के अलावा) विविध संगत अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना में विहित प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन भेजने का हकदार है जिनके प्रासंगिक उद्धरण/अंश यहां प्रस्तुत किए जा रहे हैं। शेयरधारकों द्वारा बैंक को प्रस्तुत नामांकनों की जांच तथा निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा उपयुक्त निर्धारण किए जाने के बाद अथवा असाधारण आम बैठक में निर्वाचन के बाद निदेशक को चुना जाएगा। इस प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित निदेशक को निर्वाचित होने की तारीख से कार्यभार ग्रहण करना माना जाएगा और वे तीन वर्षों की अवधि के लिए इस पद को सुशोभित करेंगे।

विधिक प्रावधान

इस विषय में लागू विभिन्न अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना के प्रावधान नीचे तालिका में दिये गए है:

अधिनियम/योजना/विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 16 (1)	उभयनिष्ठ निदेशकों का निषेध
	धारा 20	बैंक के किसी भी निदेशक की ओर से ऋण या अग्रिम की स्वीकृति पर प्रतिबंध।
	धारा 51	किसी नए बैंक पर अधिनियम की कुछ धाराओं की प्रयोज्यता
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3(2ई)	वोट देने के अधिकार पर प्रतिबंध
	धारा 9(3)(i)	शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या
	धारा 9(3ए)(ए) से (सी) तक	कतिपय विषयों में विशेष ज्ञान
	धारा 9(3एए) धारा 9(3एबी)	कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि उसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकार्ड, सत्यनिष्ठा और अन्य किसी मानदंड पर उपयुक्त नहीं पाया जाता।

EXPLANATORY STATEMENT :

Election of Director:

In terms of provision of Section 9(3)(i) of the Act by virtue of the fact that public holds more than 16% but less than 32% of the total paid up capital of the Bank, Bank can elect two Directors from amongst the shareholders, other than Central Government.

Out of the two vacancies, Board of directors decided to fill only one vacancy and to keep another position vacant since a Civil Suit No. 212 of 2013, filed by Sri Soumyendra Roy Choudhury against the Bank is pending for disposal in Hon'ble Calcutta High Court. The petitioner challenged the decision of Nomination Committee of the Board in disqualifying his nomination while determination of his "Fit and Proper status" for election as shareholder director.

The Bank now proposes to conduct Election of Shareholder Director at the Extraordinary General Meeting scheduled to be held on 12th December, 2017.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to submit their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act/Scheme/Regulations/Notification, the relevant extracts/portions of which are reproduced in this notice. One director will be elected after the scrutiny of the nominations received from the shareholders and determination of their fit and proper status by the Nomination Committee of the Board or subsequent to the election at the Extraordinary General Meeting. A Director so elected shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected and will hold office for a period of three years.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Regulations /Scheme/Notifications applicable in this regard :

Acts/Scheme/Regulations /Notifications	Provisions	Short Particulars
The Banking Regulation Act, 1949	Section 16 (1)	Prohibition of Common Directors
	Section 20	Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
	Section 51	Applicability of certain Sections of Act to a corresponding new bank
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3(2E)	Restriction on voting rights
	Section 9(3)(i)	No. of directors to be elected by the shareholders
	Section 9(3A)(A) to (C)	Special knowledge in certain fields
	Section 9(3AA) Section 9(3AB)	No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.

अधिनियम/योजना/विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
	धारा 9(3बी)	निर्वाचित निदेशक उक्त अधिनियम की धारा 9 (3ए) एवं 9 (3एए) कि अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं उन्हें हटाने का भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार।
	धारा 13(2)	निष्ठा एवं गोपनियता बरतने संबंधी कर्तव्य
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4)	निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल
	खंड 10	बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने कि अयोग्यताएं
	खंड11	निदेशक के कार्यभार को छोड़ना
	खंड11ए	निर्वाचित निदेशक को पद से हटाया जाना
	खंड 11बी	निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल में आकस्मिक रिक्ति को भरना
	खंड 12(8)	निदेशकों के हितों वाले कुछ व्यवस्थापनों पर निदेशकों द्वारा प्रकटीकरण
यूको बैंक (शेयर एवं बैठक) यथासंशोधित विनियमन, 2003	विनियम 10	संयुक्त धारकों के अधिकार का उपयोग
	विनियम 63	सामान्य बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक
	विनियम 64	शेयरधारकों की सूची
	विनियम 65	चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन
	विनियम 66	नामांकनों की जांच
	विनियम 67	चुनाव विवाद
	विनियम 68	मतदान अधिकारों का निर्धारण
	विनियम 69	विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान किया जाना
	विनियम 70	परोक्षी
भा.रि.बैं. अधिसूचना क्रमांक डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 एवं 47/29,39.001/2007-08 दिनांक 01-11-2007 एवं सं. डीबीओडी, बीसी सं. 95/ 29.39.001/2010-11 दिनांक 23-05-2011 एवं डीबीआर.एपीपीटी.बीसी. सं. 39/29.39.001/2016-17 दि. 24.11.2016	बैंककारी कंपनियाँ (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3 एए) तथा 9 (3एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के उपयुक्त एवं समूचित मानदंड

Acts/Scheme/Regulations /Notifications	Provisions	Short Particulars
	Section 9(3B)	Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9 (3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4)	Term of office of elected directors
	Clause 10	Disqualifications from being elected as a Director of the Bank
	Clause 11	Vacation of office of Director
	Clause 11A	Removal from office of an elected Director
	Clause 11B	Filling of casual vacancy in the office of an elected Director
	Clause 12(8)	Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested
UCO Bank (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2003 as amended	Regulations 10	Exercise of rights of joint holders
	Regulations 63	Directors to be elected at General Meeting
	Regulations 64	List of Shareholders
	Regulations 65	Nomination of candidates for election
	Regulations 66	Scrutiny of nominations
	Regulations 67	Election disputes
	Regulations 68	Determination of voting rights
	Regulations 69	Voting by duly authorized representative
	Regulations 70	Proxies
RBI Notification No. DBOD.BC.No.46 and 47/ 29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and DBR.Appt.BC.No.39/ 29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks.

अधिनियम/योजना/विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंक के बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के माध्यम से दिशानिर्देश के रूप में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी पत्र संदर्भ सं. एफ़.नं. 16/83/ 2013 बीओ-I दिनांक 3 सितंबर 2013, तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में गैर सरकारी निदेशक के चयन संबंधी मानदंडों पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश संदर्भ सं. एफ. सं. 16/51/2012- बीओ.आई दिनांक 28 अप्रैल, 2015 एवं दिनांक 20 जुलाई, 2016।		सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देश
भा.रि.बैं. मास्टर परिपत्र दिनांक 2 जून 2012 – (आरबीआई/ 2012-13/79 डीबीओडी सं. डीआईआर बीसी.4/ 13.03.00/2012-13)		निदेशकों के संबंधियों को ऋण एवं अग्रिम दिया जाना

शेयरधारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिनियम/विनियम/योजना, भारत सरकार के निर्देशों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना सं. डीबीओडी.नं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 एवं डीबीओडी बीसी नं. 95/29.39.001/ 2010-11 दिनांक 23.05.2011 से संबंधित उद्धरणों को बैंक की वेबसाइट - www.ucobank.com पर दिया गया है। नामांकन के लिए निर्धारित तारीख यानी दिनांक 27 नवंबर, 2017 को या उससे पहले इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा कंपनी सचिव, यूको बैंक, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तृतीय तल, कोलकाता - 700 001 के पास अनुरोध पत्र भेजा गया है तो ऐसे उद्धरणों को उन्हें ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा।

- **निदेशकों की अभिरूचि**

  बैंक के निदेशकों की वर्तमान अपनी शेयरधारिता तक एवं ऐसे निदेशकों में जो अपने नामांकन भरे हैं, उनके संबंध में यह माना जाएगा कि वे उपर्युक्त कारबार के प्रति सचेत हैं या रूचि रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
हस्ता/-
(आर . के . टक्कर)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 26-10-2017

Acts/Scheme/Regulations /Notifications	Provisions	Short Particulars
Letter dated 3rd September, 2013 vide Ref. F.No.16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services as an advice through its Government Nominee Directors in the Board of the Bank and guidelines vide Reference No. F.No.16/51/2012-BO.I dated 28th April, 2015 and dated 20th July, 2016 of Government of India on with criteria laid down by the government for consideration as Non-Official Director of Public Sector Banks.		GOI guidelines for appointment of part-time non-official Directors in Public Sector Banks
RBI Master Circular dated 2nd June, 2012 - (RBI/2012-13/79 DBOD.No. Dir.BC.4/ 13.03.00/2012-13)		Granting loans and advances to relatives of Directors

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act/ Regulation/ the Scheme, Govt of India guidelines as well as RBI Notifications No. DBOD.No.BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No. DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 will be hosted on the Bank's website www.ucobank.com. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, UCO Bank, Finance Department, 2, India Exchange Place, 3rd Floor, Kolkata - 700 001 on or before the last date fixed for submission of nomination forms i.e. 27th November, 2017.

- **Interest of Directors :**

  Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

By Order of the Board Directors

sd/-

(R. K. Takkar)
Managing Director & CEO

Place : Kolkata
Date : 26-10-2017

भारतीय रिज़र्व बैंक के 'उपयुक्त एवं समुचित' मानदंड संबंधी दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3-एए) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना डीबीओसी बीसी स. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवम्बर, 2007 जारी की है, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों के निदेशक मण्डल में निर्वाचित हुए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले 'उपयुक्त एवं समुचित' मानदंड का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

अधिसूचना की प्रमुख विशेषताएं :

'उपयुक्त एवं समुचित' स्थिति आदि का निर्णय करने संबंधी प्राधिकार, पद्धति/प्रक्रिया एवं मानदंड निम्नानुसार है :

(ए) प्राधिकार : सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपेक्षित है कि वे एक 'नामांकन समिति' का गठन करें जिसमें निदेशक मण्डल से (सभी स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशक) न्यूनतम तीन निदेशक शामिल हों। निदेशक मण्डल द्वारा उनमें से एक निदेशक को नामांकन समिति का अध्यक्ष नामित करना चाहिए। कोरम में अध्यक्ष को मिलकर तीन सदस्य होने ज़रूरी हैं। यदि नामित व्यक्तियों में से कोई अनुपस्थित रहता है तो निदेशक मण्डल उसके स्थान पर किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक को आगामी बैठक के लिए नामित कर सकता है। नामांकन समिति का गठन करते समय बोर्ड इसकी अवधि का भी निर्धारण कर सकता है।

(बी) पद्धति एवं प्रक्रिया : नामांकन समिति को **उक्त** अधिनियम धारा 9 (3)(i) के तहत मौजूदा चुने हुए निदेशक/निदेशकों के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'उचित एवं समुचित' स्थिति का निर्धारण करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए बैंकों को संलग्न फॉर्मेट में (अनुबंध-1 में) मौजूदा चुने गए निदेशकों/निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्ति से आवश्यक सूचना एवं घोषणा प्राप्त कर लेनी चाहिए। नामांकन समिति को चुने जाने वाले व्यक्तियों के मामले में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से पहले बैठक करनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि निम्नांकित मानदंडों के आधार पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी को स्वीकार किया जाए या नहीं। समिति के विचार विमर्श को औपचारिक कार्यवृत के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज़ किया जाना चाहिए और यदि मौजूदा तथा नए निदेशकों के संबंध में वोटिंग हुए तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई सूचना के आधार पर नामांकन समिति को प्रत्याशी की स्वीकृति या अन्यथा रूप में निर्णय करना चाहिए तथा जहां कहीं आवश्यक हो समुचित प्राधिकारी/व्यक्तियों के समक्ष अभिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(सी) मानदंड : नामांकन समिति को चुने हुए मौजूदा निदेशकों/प्रस्तावित प्रत्याशियों की 'उपयुक्त एवं समुचित स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर करना चाहिए :

(i) शैक्षणिक योगिता

(ii) अनुभव तथा विशेषज्ञता का क्षेत्र

(iii) ट्रैक रिकार्ड तथा निष्ठा

(उपरोक्त सूची उदाहरणस्वरूप है, व्यापक नहीं)

नामांकन समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या उपरोक्त मानदंडों में से किसी के अनुपालन न होने से चुने हुए मौजूदा निदेशकों/प्रस्तावित प्रत्याशी को बैंक के निदेशक के रूप में अपने कार्य दायित्व का निर्वाह करने में रुकावट होगी। इसी क्रम में किसी प्राधिकारी/विनियामक निकाय को प्रतिकूल सूचना प्राप्त होने या किसी बैंक या वितीय संस्था से ऋण की अदायगी में चूककर्ता या दिवालिया होने पर संबंधित उम्मीदवार को बैंक के निदेशक मण्डल में निदेशक होने के लिए अयोग्य एवं अनुचित माना जाएगा।

(डी) अन्य मामले : यह वांछनीय है कि जनहित में यह सुनिश्चित किया जाए कि चुने हुए निदेशकों द्वारा हमारे परिपत्र सं. डीबीओडी.सं. बीसी 116/08.139.001/2001-02 दिनांक 20 जून, 2002 के अनुसार डॉ. गांगुली समूह द्वारा की गई सिफ़ारिश तथा 31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष प्रसंविदा विलेख निष्पादित किया जाए (तत्काल संदर्भ हेतु अनुबंध-2 संलग्न किया गया है)।

Guidelines isued by RBI on "Fit and Proper" Criteria

Reserve Bank of India (RBI),in exercise of powers conferred on it under sub sections Annexure (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBOC BC No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated November 01,2007 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

Salient Features of the Notification

The authority, manner/procedure and criteria for deciding the 'fit and proper" status etc. is as under:

(a) **Authority:** All the nationalized banks are required to constitute a "nomination committee" consisting of a minimum of three directors (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

(b) **Manner and procedure:** The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper" status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act ibid. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the format enclosed (Annexure-1), from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person's candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

(c) **Criteria:** The nomination committee should determine the 'fit and proper" status of the existing elected directors/proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder

(i) Educational qualification

(ii) Experience and field of expertise

(iii) Track record and integrity
(The above list is only illustrative and not exhaustive).

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank.

(d) **Other matters:** It is desirable that the board ensures, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (copy enclosed for ready reference -Annexure-2) as recommended by the Dr Ganguly Group vide our circular DBOD.No.BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002 and also every year as on 31st March.

यह भी बाध्यकारी है कि सभी निर्वाचित निदेशकों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को एक साधारण घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए कि जो सूचना उन्होंने पहले प्रस्तुत की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और जहां भी कोई परिवर्तन हुआ है, वहां निदेशकों द्वारा आवश्यक विवरण तुरंत प्रस्तुत कर दिए गए हैं। यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है तो समिति को समुचित सावधानी बरतनी चाहिए तथा निदेशक की 'उपयुक्त तथा समुचित' स्थिति का पुनरीक्षण करना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/आरबीआई/बीमा कंपनियों में गैर – सरकारी निदेशक की नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड

संदर्भ : 1. एफ.नं.16/83/2013-बीओ.आई ऑफ डीएफएस,एमओएफ, जीओआई, दिनांक 03 सितंबर, 2013

2. एफ.नं.16/51/2012-बीओ.आई ऑफ डीएफएस, एमओएफ, जीओआई, दिनांक 20 जुलाई 2016

3. एफ.नं.16/51/2012-बीओ.आई ऑफ डीएफएस, एमओएफ, जीओआई, दिनांक 28 अप्रैल 2015

(अ) अनुभव के मानदंड :

सरकारी क्षेत्र के बैंकों/आरबीआई/वित्तीय संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा कंपनियों के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में विचार किया जाएगा :

क) कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष शैक्षिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव के साथ श्रेष्ठता वाले व्यक्तियों पर आमतौर से विचार किया जाएगा। वरिष्ठ स्तर पर 20 वर्षों के उद्योग के अनुभव,संबन्धित क्षेत्र में विशेषज्ञता (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व किया या एक असफल संगठन में बदलाव लाया) पसंदीदा होगा।

ख) सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी 20 वर्षों का कुल अनुभव और संयुक्त सचिव और उपरोक्त स्तर पर न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभव के साथ। सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशकों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जिसमें से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। किसी अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंक के कार्यरत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

ग) प्रतिष्ठित प्रबंधन बैंकिंग संस्थान के अकादमिक निर्देशकों और प्रोफेसरों का अनुभव 20 वर्षों से अधिक का होना चाहिए।

घ) 20 वर्षों के अनुभव (ऑडिट अनुभव को छोड़कर) वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स पर भी विचार किया जाएगा।

(आ) शैक्षणिक योग्यता के मानदंड :

एक गैर-सरकारी निदेशक को कम से कम वरीयतः व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के साथ किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए।

(इ) उम्र के मानदंड :

खोज समिति (Search Committee) की संस्तुति की तारीख को निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ई) कार्य अनुभव के मानदंड :

पेशेवर व्यक्तियों / शिक्षाविदों को उनके अपने विशिष्ट क्षेत्र में 20 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए।

(उ) अयोग्यता के मानदंड :

(क) पहले से किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी में किसी भी श्रेणी के निदेशक को किसी भी अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

(ख) किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टा एवं अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियां, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य और शेयर

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'fit and proper" status of the director.

Criteria laid down by the Government for consideration as non-official Director in Public Sector Banks/FIs/RBI/ Insurance Companies

Ref. 1. F.No.16/83/2013-BO.I of DFS, MoF, GOI dated 3rd September, 2013

2. F.No.16/51/2012-BO.I of DFS, MoF, GOI dated 20th July, 2016

3. F.No.16/51/2012-BO.I of DFS, MoF, GOI dated 28th April, 2015

A) Criteria of Experience

The following categories of persons will be considered for appointment of Part-time Non-Official Director on the Boards of Public Sector Banks/Reserve Bank of India/Financial Institutions/Public Sector Insurance Companies :

a) Persons of eminence with special academic training or practical experience in the field of agriculture, rural economy, banking, co-operation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, Risk Management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (Successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.

b) Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as Non Official Director on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of a PSB will not be considered for appointment as Non Official Director on the Board of any other PSB.

c) Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years' experience.

d) Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.

B) Criteria of Educational Qualification

Non-official Director should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

C) Criteria of Age

The age of the Director, on the date of recommendation by Search Committee should not be more than 67 years.

D) Criteria of Work Experience

Professionals/Academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

E) Criteria of Disqualification

a) A Director already on a Bank/Financial Institutions (FIS)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as Non-official Director in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.

दलालों को बैंकों/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनियों के बोर्डों पर गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टा एवं अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में निवेशकों को गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, यदि इन कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है।

(ग) किसी भी व्यक्ति को बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में फिर से नामित किया जा सकता है, जिस पर उसने किसी भी श्रेणी के अंतर्गत पिछले दो कार्यकाल या छह साल, जो भी अधिक हो, के लिए निदेशक के रूप में सेवा की है।

(ऊ) कार्यकाल का मानदंड :

एक गैर-सरकारी निदेशक को बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि ऐसा निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक/शेयरधारक निदेशक के रूप में छह वर्षों के लिए लगातार या आवधिक रूप में कार्यरत है।

(जी) व्यावसायिक प्रतिबंध :

i) यदि कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म वर्तमान में किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा है, तो उस चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म का कोई भी भागीदार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/पीएसबी में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

ii) यदि कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत है, तो उस चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म का कोई भी भागीदार उस बैंक में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

अधिसूचना : भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग विनियमन विभाग

डीबीआर. एपीटीटी. बीसी. नं.38/29.39.001/2016-17

डीबीआर. एपीटीटी. बीसी. न.39/29.39.001/2016-17 नवम्बर 24, 2016

बैंकिंग कंपनियों के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव

बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 10ए(2)(ए)(ix), भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम,1955 की धारा 19ए(1)(ए)(viii), भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंकों) अधिनियम, 1959 की धारा 25ए(1)(ए)(viii) और बैंकिंग कम्पनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3ए)(ए)(viii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस आशय की अधिसूचना जारी किया है कि (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित मामलों या क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव बैंकिंग कंपनी, भारतीय स्टेट बैंक, अनुषंगी बैंक और समवर्ती नए बैंक, जैसी भी स्थिति हो, के लिए उपयोगी होगा।

b) Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as Non-official Directors on the Boards of Banks/FIs/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as Non-official Director, if they are not having any managerial control in such companies.

c) No person may be re-nominated as Non-official Director on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

F) Criteria of Tenure

A Non-official Director would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company if such Director has already been a Non-official Director/Shareholder Director on the Board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

G) Professional Restriction

i) If a Chartered Accountant firm is currently engaged in any Public Sector Bank (PSB) as a Statutory Central Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firm shall be eligible for appointment as a Non-official Director in any Nationalized Bank/PSB.

ii) If a Chartered Accountant firm is currently engaged in a Nationalised Bank as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firms should be eligible for appointment as a Non-official Director in the same Bank.

NOTIFICATION : RESERVE BANK OF INDIA, DEPARTMENT OF BANKING REGULATION

DBR.Appt.BC.No.38/29.39.001/2016-17

DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 November 24, 2016

Special knowledge or practical experience useful to banking companies

In exercise of the powers conferred by Section 10A(2)(a)(ix) of the Banking Regulation Act, 1949, Section 19A(1)(a)(viii) of State Bank of India Act, 1955, Section 25A(1)(a)(viii) of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and Section 9(3A)(A)(viii) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970/1980, Reserve Bank of India hereby notifies that special knowledge or practical experience in matters or areas relating to (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management would be useful to a banking company, State Bank of India, subsidiary bank and a corresponding new bank, as the case may be.

नामांकन फार्म

(विनियमों के विनियम 65 (डी) देखें)

सेवा में,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूको बैंक
10, बीटीएम सरणी,
(ब्राबोर्न रोड)
कोलकाता- 700001

महोदय,

निदेशकों का चुनाव

आपकी दिनांक 26 अक्तूबर, 2017 को जारी सूचना के संदर्भ में, मैं, ...चुनाव में भाग लेने की अंतिम तारीख 27 अक्तूबर, 2017 को प्रत्येक रु 10/- के .... इक्विटी शेयर धारित करनेवाला यूको बैंक का शेयरधारक, इसके द्वारा श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... निवासी ....को बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3)(i) के प्रावधान के अनुसार, दिनांक 12 दिसंबर, 2017 को आयोजित यूको बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले यूको बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए इसके द्वारा नामित करता हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अभौतिक न हो)	
डीपी आईडी सं. ग्राहक आईडी सं. (यदि अभौतिक रूप में हो)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणी

1) यदि किसी निगमित निकाय द्वारा नामांकन किया जाता है तो नामांकन फॉर्म के साथ पारित संकल्प की एक प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए और उस पर जिस बैठक में इसे पारित किया गया है उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए ।
2) उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मिलने चाहिए।
3) यदि उपर्युक्त में से कोई कॉलम रिक्त छोड़ा गया या विवरण असत्य पाया गया तो नामांकन रद्द किया जा सकता है ।

NOMINATION FORM

(Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

To
The Managing Director & CEO
UCO Bank,
10, B.T.M. Sarani,
(Brabourne Road),
Kolkata - 700 001

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to your notice dated 26th October, 2017, I,…………………………….........……....… a shareholder of UCO Bank holding……………………......................………….........................…equity shares of Rs. 10/- each as on 27th October, 2017, the cut off date for participating in the election, do hereby nominate Shri/Smt.......………..……...............son/daughter/wife of ....…………………………………………..........….................residing at …………………………………… ……………………………………… for being elected as a Director of UCO BANK representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on 12th December, 2017.

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

Notes :

1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
3) If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

घोषणा
(प्रत्याशी के द्वारा)

मैं...सुपुत्र/सुपुत्री/
पत्नी, श्री/श्रीमती..
निवासी...
एतदद्वारा पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि :

क) दिनांक 27 अक्तूबर, 2017 को यानी निर्वाचन में भाग लेने की अंतिम तारीख को मैं फोलियो सं. ..../डीपी आईडी नं. ..../ग्राहक आईडी नं. .... बैंक के ....इक्विटी शेयरों का धारक हूँ और

ख) मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (ii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त (vi) कानून, (vii) लघु उद्योग, या सूचना प्रौद्योगिकी / भुगतान और निपटान प्रणाली / मानव संसाधन / जोखिम प्रबंधन और व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों में (जिसका विशेष ज्ञान एवं जिसमें व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी है) विशेष ज्ञान है या व्यावहारिक अनुभव है। और मैं, धारा 9 की उप-धारा 3(ए) के संदर्भ में जमाकर्ताओं या किसानों, मजदूरों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ तथा उसके साक्ष्य में संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ, तथा

ग) मैं, नामांकन संख्या .... स्वीकार करता/करती हूँ तथा

घ) मैं, यूको बैंक के शेयरधारक निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूँ तथा

ङ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, यूको बैंक (शेयर और बैठकें) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने से मुझे अयोग्य घोषित नहीं किया गया *यथासंशोधित, आरबीआई द्वारा जारी संबंधित अधिसूचनाएं एवं सरकारी क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश तथा

च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत मुझे अयोग्य घोषित नहीं किया गया है; तथा

छ) मैंने, न तो लाभ का कोई पद धारण किया है और न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहयोगी बैंक का कर्मचारी हूं।

मैं आगे यह घोषणा करता हूं कि

ज) मुझे, किसी भी समय दिवालिया के रूप में घोषित नहीं किया गया है या मैंने लेनदारों का भुगतान रोका या प्रशमन किया हो; तथा

झ) मुझे, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत दिमाग का नहीं पाया गया है और किसी अपराध जिसमें नैतिक चरित्रहीनता भी शामिल है, के लिए फ़ौजदारी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया नहीं गया है; तथा

ञ) मुझे, किसी भी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है; तथा

ट) मैं, किसी किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टा एवं अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों से नहीं जुड़ा हूं और मैं, सांसद/विधायक/एमएलसी/स्टॉक ब्रोकर नहीं हूं।

ठ) मैं, विगत में सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक या वित्तीय संस्था या आरबीआई या बीमा कंपनी के बोर्ड में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत दो कार्यकाल या छह साल के लिए जो भी अधिक हो, लगातार या आंतरायिक रूप में निदेशक नहीं रहा हूँ; तथा

ड) मैं, विगत में इस बैंक के बोर्ड में, किसी भी श्रेणी के अंतर्गत दो कार्यकाल या छह साल के लिए जो भी अधिक हो, निदेशक नहीं रहा हूं; तथा

ढ़) यदि, किसी बैंक के साथ मेरे घनिष्ठ व्यावसायिक संबंध रहे हों परंतु निदेशक के रूप में निर्वाचित और उसके बाद की दो वर्षों की अवधि के लिए उस बैंक के साथ मेरे घनिष्ठ व्यावसायिक संबंध नहीं होंगे; तथा

ण) मैं, किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में वर्तमान में कार्यरत किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म में भागीदार नहीं हूं; तथा

त) मैं, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में वर्तमान में कार्यरत किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म में भागीदार नहीं हूं; तथा

थ) मैं, इस घोषणा के बाद हुए घटनाओं (यदि कोई हो), जो यहां दिए गए सूचनाओं से संबन्धित हैं एवं बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन की उपयुक्तता के करारों को निष्पादित करते हैं, की जानकारी यथाशीघ्र बैंक को देने का वचन देता हूँ; तथा

द) मैं, बैंक के निदेशक के रूप में पदधारण करने तक सेबी (एलओडीआर) अधिनियम 2015, यथासंशोधित के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालना का वचन देता हूं; तथा

ध) मैं, अपने व्यक्तिगत विवरणों को संलग्न करता हूं जो मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सभी तरह से सत्य और पूर्ण है; तथा

न) मैं, अन्य कंपनियों/बैंकों में अपने वर्तमान और पिछले निदेशकत्व का विवरण नीचे दे रहा हूंः

कंपनी/बैंक का नाम	**निदेशकत्व विवरण अर्थात कार्यकाल/अवधि आदि**

(यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त पत्रक जोड़ें)
(जो लागू न हो उसे काट दें।)

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर ....

नाम ....

उक्त घोषणा पर हस्ताक्षर मेरे सामने किए गए।

*न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, या राजपत्रित अधिकारी या आरबीआई या यूको बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के मुहर के साथ हस्ताक्षर।
(जो लागू न हो उसे काट दें।)

....

* हस्ताक्षर और तारीख के साथ मुहर

Declaration

(By the Candidate)

I, …………………………………………...……son/daughter/wife of Shri/Smt. ……..…… ……………………….................……………………………….............………a resident of ……………………………………….……………………..……………………….……………….....hereby confirm that :

a. I am a Shareholder holding ……………… equity shares of Rs.10/- each of the Bank under Folio No. ..../ DPID No........................./Client ID No....................... as on Friday 27th October 2017, i.e., the Cut-Off Date for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;

b. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law,(vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of IT/Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management etc. and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and
(*Delete whichever is not applicable.)

c. I accept the nominations numbering …………………….; and

d. I am willing to contest for the election of Director of UCO BANK; and

e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, UCO Bank (Shares & Meetings) Regulations, [?] as amended, relevant Notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks and

f. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and

g. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

I further declare that

h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and

i. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and

j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and

k. I am not connected with any hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities and I am not a MP / MLA / MLC / Stock broker

l. I have not been a Director on the Board of any Public Sector Bank, or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past, under any category for two terms or six years, whichever is longer and whether continuously or intermittently; and

m. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and

n. I will severe professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and

o. I am not a partner in any Chartered Accountant Firm currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor; and

p. I am not a partner in any Chartered Accountant Firm currently engaged in Nationalized Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor; and

q. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and

r. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and

s. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects, and

t. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies / banks:

Name of the Company / Bank	**Directorship details viz. tenure, period etc.**

(add additional sheets if necessary)

(Delete whichever is not applicable.)

Place : Signature _______________________

Date : Name _______________________

The above declaration signed before me.

*Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or UCO Bank or any nationalized Bank.
(Delete whichever is not applicable.)

____

*Signature & Seal with date

प्रत्याशी के व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचनपत्र

यहां पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाएँ

बैंक का नाम : यूको बैंक

दिनांक .... 2017 (वचनपत्र की तारीख) को अपेक्षित अनुलग्नकों के साथ प्रत्याशी की घोषणा एवं वचनपत्र

क्र.सं.	ब्योरा	
I	**प्रत्याशी का व्यक्तिगत विवरण**	
1	प्रत्याशी का पूरा नाम (बड़े अक्षरों)	
2	पिता का पूरा नाम	
3	जन्म की तारीख	
4	स्थायी पता	
5	वर्तमान पता	
6	टेलीफोन (लैंडलाइन) मोबाइल फैक्स नंबर	
	ईमेल आईडी	
7	आयकर अधिनियम के तहत स्थायी खाता संख्या (पैन) (कृपया प्रति संलग्न करें)। आयकर परिमंडल का नाम व पता जहां व्यक्तिगत कर विवरणी जमा होती है।	
8	शैक्षणिक योग्यता	
	(शैक्षणिक/अकादमिक) कृपया योग्यता की पुष्टि में प्रमाणपत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।	
9	संगत ज्ञान एवं अनुभव (i) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3ए) (ii) आरबीआई अधिसूचना डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.नं. 38/29.39.001/2016-17 और डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.नं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24.11.2016 और (iii) वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों एफ. नं.16/51/2012 – बीओ.आई दिनांक 28.04.2015, गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए।) (कृपया बैंक के निदेशकत्व से सबंधित अपना अनुभव वर्षों में उल्लेख करें।) (ज्ञान एवं अनुभव के प्रमाण स्वरूप स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करें।)	
10	कोई अन्य सूचना जो प्रत्याशी देना चाहता हो।	

Personal Information, Declaration and Undertaking by the candidate

Name of the Bank: UCO Bank

Affix passport size photo here

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on ……………….2017 (date of undertaking)

Sl. No.	Particulars	
I.	**Personal Details of the Candidate**	
1	Full Name of the Candidate (in Capital Letters)	
2	Father's Name in Full	
3	Date of Birth	
4	Permanent Address	
5	Present Address	
6	Telephone (Landline) Mobile Fax Number	
	Email id	
7	Permanent Account Number (PAN) under the Income Tax Act (Please enclose a copy) Name and address of the Income Tax Circle where personal tax returns are filed	
8	Educational Qualifications	
	(Educational/academic) (please attach self attested certificates evidencing the qualification)	
9	Relevant Knowledge and Experience (As required under (i) Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (ii) RBI Notification DBR.Appt.BC.No. 38/29.39.001/2016-17 and DBR.Appt.BC.No. 39/29.39.001/2016-17dated 24.11.2016 and (iii) Department of Financial Services, Ministry of Finance Government of India guidelines,F.No. 16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015, for appointment of Part time Non official Directors.) (Please indicate experience relevant to the directorship of the Bank duly mentioning number of years of experience.) (Please attach self attested certificates evidencing knowledge/and experience)	
10	Any other information which the candidate desires to furnish	

II	**उम्मीदवार के संगत रिश्ते**	
11	उम्मीदवार के उन रिश्तेदारों की सूची, यदि कोई हो, जो बैंक से जुड़े हुए हैं (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1(ए) के संदर्भ में।	
12	उन संस्थाओं की सूची जिसमें उम्मीदवार रूचि रखता हो (कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 299(3)(ए); धारा 300 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 20।	
13	प्रस्तावित अथवा वर्तमान कंपनियों की सूची जिनमें उम्मीदवार बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 (एनई) की परिभाषा के अंतर्गत पर्याप्त हित धारित करता हो।	
14	बैंक(कों) का नाम जिनमें उम्मीदवार बोर्ड का सदस्य है या रहा है (धारित पद की अवधि का विवरण दें) कृपया वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देश एफ.नं. 16/51/2012- बीओ.आई, दिनांक 28.04.2015 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए देखें।)	
15	बैंक में उम्मीदवार द्वारा या उपर्युक्त 12 एवं 13 में दी गई किसी कंपनी द्वारा वर्तमान में प्राप्त निधि एवं गैर – निधि सुविधाएं, यदि कोई हो	
16	ऐसे मामले, यदि कोई हो, जिनमें उम्मीदवार या कालम 12 एवं 13 में दी गई कंपनियाँ, हमारे बैंक या अन्य किसी बैंक / वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में पूर्व चूककर्ता रहे हैं / चूककर्ता हैं।	
17	(i) क्या उम्मीदवार किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी का भागीदार है जो वर्तमान में किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत है। (ii) क्या उम्मीदवार किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट कंपनी का भागीदार है जो वर्तमान में यूको बैंक में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करता है या यूको बैंक में स्वयं सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत है ?	
18	क्या उम्मीदवार किसी किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टा और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों, सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य और स्टॉक ब्रोकर्स के साथ जुड़ा हुआ है। यदि हां, तो कृपया उसका विवरण दें। (कृपया वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देश एफ.नं. 16/51/2012- बीओ.आई, दिनांक 28.04.2015 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए देखें।)	
III	**व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड**	
19	उम्मीदवार की व्यावसायिक उपलब्धियां, यदि कोई हो	
IV	**उम्मीदवार के विरूद्ध की गई कार्यवाही, यदि कोई हो**	
20	यदि उम्मीदवार किसी व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य हो तो उम्मीदवार के विरूद्ध लंबित या शुरू की गई या पूर्व में दोषसिद्ध में परिणत अनुशासनिक कार्रवाई, यदि कोई हो,का विवरण या क्या उम्मीदवार को कभी किसी व्यवसाय/रोजगार में प्रवेश लेने से रोका गया है ।	

II	**Relevant Relationships of the Candidate**	
11	List of relatives of the Candidate, if any, who are connected with the Bank (In terms of Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956	
12	List of entities in which the candidate is considered as being interested Refer section 299(3)(a); Section 300 of the Companies Act, 1956 and Section 20 of the Banking Regulations Act 1949	
13	List of entities in which the candidate is considered as holding substantial interest within the meaning of section 5 (ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
14	Name of Bank(s) in which the candidate is or has been a member of the Board (provide details of period during which such office was held) (Please refer Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India guidelines, F.No. 16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015, for appointment of Part time Non official Directors.)	
15	Fund and Non Fund Facilities if any presently availed by the candidate or any of the entities listed in 12 and 13 above from the Bank	
16	Cases, if any, where the candidate or entities listed in 12 and 13 above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank or any other Bank/Financial Institution	
17	(i) Whether the candidate is a partner of any Chartered Accountant Firm which is currently engaged in any Public Sector Bank (PSB) as a Statutory Central Auditor; (ii) Whether the candidate is a partner of any Chartered Accountant Firm which is currently engaged in UCO Bank as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor or himself engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor in UCO Bank?	
18	Whether candidate is connected with any hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers. If so, please provide the details there of. (Please Refer Department of Financial Services, Ministry of Finance Government of India guidelines, F.No. 16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015, for appointment of Part time Non official Directors.)	
III	**Records of professional achievements**	
19	Professional achievements of the candidate, if any	
IV	**Proceedings, if any, against the Candidate**	
20	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate or whether the candidate has been banned from entry of any profession/occupation at any time.	

21	आर्थिक विधि तथा विनियमों के उल्लंघन हेतु उम्मीदवार तथा सूची 12 तथा 13 में सूचीबद्ध कंपनियों के विरुद्ध लंबित अथवा प्रारम्भ किए गए अथवा पूर्व में दोषसिद्ध अभियोग का विवरण, यदि कोई हो।	
22	उम्मीदवार के विरुद्ध पूर्व में शुरू किए गए या लंबित या दोषसिद्ध में परिणत आपराधिक अभियोग का विवरण, यदि हो,	
23	क्या उम्मीदवार में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 के अंतर्गत कोई अयोग्यता पाई गई है ?	
24	क्या उम्मीदवार या उक्त कालम 12 तथा 13 में दी कंपनियों में से किसी के विरुद्ध सरकारी विभाग या एजेंसी के अनुरोध पर कोई जाँच की गई ?	
25	क्या उम्मीदवार कभी नियमों/विनियमों/सीमा/उत्पाद/आयकर/विदेशी विनियम/अन्य राजस्व प्राधिकारियों की वैधानिक अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हुए दोषी पाया गया है ? यदि ऐसा है तो कृपया विवरण दें।	
26	क्या उम्मीदवार या कॉलम 12 एवं 13 में दर्ज कंपनियों ने कभी सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, डीसीए, फेमा, इत्यादि जैसे विनियामक से प्रतिकूल सूचना प्राप्त की है? (यद्यपि किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह विनियामकों द्वारा दिए गए आदेशों और निष्कर्षों, जिन्हें बाद में पूर्णत: बदल दिया गया / रद्द कर दिया गया, का उल्लेख करें, किन्तु यदि बदलाव / रद्द करना, सीमांकन अथवा क्षेत्राधिकार इत्यादि जैसे तकनीकी कारणों से किया गया हो तो इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा। विनियामक का आदेश अस्थायी रूप से स्थगित कर दिए जाने तथा अपील/न्यायलय प्रक्रियाएँ लंबित होने पर भी इनका उल्लेख किया जाना चाहिए)	
V	मद I से III के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण / सूचना एवं ऐसी अन्य जानकारी जो समुचित निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक माना जाता है।	

मैं पुष्टि करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूरी है। मैं वचन देता हूँ कि मेरी नियुक्ति किए जाने के बाद ऊपर प्रदान की गई सूचना से प्रासंगिक जो कुछ भी घटित होगा उन सभी बातों से मैं बैंक को शीघ्र से शीघ्र पूर्णतया अवगत कराऊँगा।

दिनांक : ....

स्थान : हस्ताक्षर

21	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate and/or against any of the entities listed in 12 and 13 above for violation of economic laws and regulations.	
22	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced resulting in conviction in the past years against the candidate.	
23	Whether the candidate attracts any of the disqualification envisaged under section 274 of the Companies Act 1956?	
24	Has the candidate or any of the entities listed in 12 and 13 above been subject to any investigation at the instance of Government Department of Agency?	
25	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities? If so, please furnish particulars.	
26	Whether the Candidate or entities listed in 12 and 13 above has at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, RBI, IRDA, DCA FEMA etc., (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper	

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

Date :

Place : Signature :

वचनपत्र

मैं...सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री.. पुष्टि करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूरी है। मैं वचन देता हूँ कि मेरी नियुक्ति के बाद उपर्युक्त सूचनाओं के संबंध में होनेवाली सभी घटनाओं के बारे में बैंक को जल्द से जल्द पूरी तरह सूचित करूँगा।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु अपेक्षित प्रतिज्ञा पत्र विलेख निष्पादित करूँगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थानः

दिनांकः

संलग्नक :

नोट :

- जहाँ कहीं पर्याप्त स्थान नहीं है, कृपया अनुबंध के रूप में सूचना क्रमवार एवं समुचित प्रतिसंदर्भ के अनुसार संलग्न करें।
- उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंध सहित) पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है।

नामांकन समिति की अभ्युक्ति/ प्रेक्षण		
समिति सदस्य	**समिति सदस्य**	**समिति सदस्य**

स्थान :

दिनांक :

UNDERTAKING

I____

__________________________________ Son/Daughter/Wife/ of Shri _________________________ confirm that the above information is to the best of my belief true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the Bank.

Signature of Candidate

Place :

Date :

Enclosures :

Note:

- Where space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference.
- Each page (including annexure) is required to be signed by the candidate.

Observations / Remarks of the Nomination Committee :		
Committee Member	**Committee Member**	**Committee Member**

Place :

Date :

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय, 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाना है)

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अभौतिक न हों)		(यदि शेयर अभौतिक हों)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

मैं/हम .... निवासी.............................. जिला ....राज्य .... यूको बैंक, कोलकाता का/के शेयरधारक होने के नाते एतदद्वारा श्री/श्रीमती ....निवासी ....जिला .... राज्य................... को या उनकी अनुपस्थिति में श्री/श्रीमती .... निवासी ....जिला ....राज्य .... को 12 दिसंबर, 2017 को पूर्वाह्न 10.00 बजे भाषा भवन ऑडिटोरियम, नैशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027 में या इसकी स्थगित तिथि को यूको बैंक के शेयरधारकों की होनेवाली असाधारण आम बैठक में मेरी/हमारी ओर से मतदान करने के लिए अपना परोक्षी नियुक्त करता हूँ / करते हैं।

दिनांक............................... 2017 को .... दिन हस्ताक्षरित।

कृपया एक रुपये का रसीदी टिकट चिपकाएं

....

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नामः ....

पताः ....

....

....

परोक्षी (प्राक्सी) के हस्ताक्षर

परोक्षी (प्राक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

1. परोक्षी लिखत तभी वैध होगा जब
   (क) व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उसके/लिखत रूप से विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।
   (ख) संयुक्त धारकों के मामले में सदस्यों के रजिस्टर में प्रथम नामित शेयर धारक या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
   (ग) किसी कंपनी निकाय के मामले में वह, उसके अधिकारी द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
2. जिस परोक्षी लिखत पर शेयरधारक अंगूठा निशान अंकित करता है वह तभी वैध होगा जब वह जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार अथवा उप- रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूको बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
3. परोक्षी के साथ
   (क) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
   (ख) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा प्राधिकार की प्रति असाधारण आम सभा की तिथि से चार दिन पहले अर्थात व्यवसाय समय की समाप्ति को या उससे पहले अर्थात गुरुवार, 7 दिसंबर, 2017 को अपराह्न 5:00 बजे तक या उससे पहले यूको बैंक, वित्त विभाग, (शेयर अनुभाग) 2, इंडिया एक्स्चेंज प्लेस, तीसरी तल, कोलकाता - 700001 में जमा की जानी चाहिए।
4. कोई भी परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि यह फार्म बी की तरह एवं विधिवत स्टांपित न हो।
5. बैंक में जमा की गई परोक्षी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।
6. विकल्प में दो अनुदानकर्ताओं के पक्ष में दी गई प्रॉक्सी के एक साधन के मामले में, एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किए जाएंगे।
7. जिस शेयरधारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
8. यूको बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

यूको बैंक UCO BANK

Head Office : 10, B. T. M, Sarani Kolkata - 700001

Proxy Form

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio No.		DPID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(if shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

I/We ______________________________ resident/s of ______________________________ in the district of ____________________ in the state of ______________ ,being a share holder/shareholders of UCO Bank, Kolkata hereby appoint Shri/Smt. __________________________ resident of ______________________________ in the district of ____________________________ in the state of __________________________ or failing him, Shri/Smt. ____________________ resident of ________________________________ in the district of _________________________ in the state of ________________ as my/or our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of UCO Bank, to be held on 12th December, 2017 at 10.00 A.M. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027 and at any adjournment there of.

Signed this……………..day of………..2017

Please Affix Re.1/- Revenue Stamp

____

Signature of Proxy

____

Signature of first named/sole Shareholder

Name : ....

Address :..

....

Instructions for Signing And Lodging the Proxy form

1. No instruments of proxy shall be valid unless,
   (a) In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorized in writing;
   (b) In the case of joint holder, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing;
   (c) In the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing,
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto, and attested by a judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of UCO Bank.
3. The proxy together with
   (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   (b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of UCO Bank, Finance Dept. (Share Section), No.2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata-700 001 not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Metting i.e., on or before the closing hours i.e. 5.00 PM on Thursday, the 7th December, 2017.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is as per Form "B" and is duly stamped.
5. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favor of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of UCO Bank.

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय, 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001

उपस्थिति पर्ची

(बैठक स्थल पर प्रवेश के समय इसे जमा किया जाए)

दिनांक एवं समय : 12 दिसंबर, 2017 समय : 10.00 बजे प्रातः

स्थानः भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700027

मैं एतद्द्वारा यूको बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूं।

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम	पंजीकृत फोलियो /डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या	हस्ताक्षर

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय, 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001

प्रवेश पत्र

असाधारण आम बैठक

दिनांक एवं समय : 12 दिसंबर, 2017 समय : 10.00 बजे प्रातः

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

सदस्य / परोक्षी का नाम बड़े अक्षरों में	फोलियो / ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या	हस्ताक्षर

शेयरधारकों/परोक्षी/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक हॉल में प्रवेश करने के लिए हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची सह प्रवेशपत्र प्रस्तुत करें। प्रवेशपत्र वाला अंश शेयरधारकों/परोक्षी/प्रतिनिधियों को वापस लौटा दिया जाएगा जिसे वे बैठक के अंत तक संभालकर रखें। तथापि, प्रवेश सत्यापन/जाँच, जैसा आवश्यक समझा जायेगा, की शर्त के अधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची सह प्रवेशपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय, 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001

(बैलेट पेपर जारी किए जाने वाले मतदान काउंटर पर जमा कर दिया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अभौतिक न हों)		(यदि शेयर अभौतिक हों)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

तारीख : ...., 2017

UCO BANK

10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

Attendance Slip

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date &Time : 12th December, 2017 at 10.00 A M.

Venue: Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Name of the Shareholder/Proxy/ Representative present	Regd. Folio / DPID/ Client ID No.	No. of Shares	Signature

UCO BANK

Head Office: 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

ENTRY PASS

Extraordinary General Meeting

Date &Time : 12th December, 2017 at 10.00 A M.

(To be retained throughout the meeting)

Name : in BLOCK letters /Member / Proxy	Folio / Client ID No.	No. of Shares	Signature

Shareholders/Proxy representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-Entry Pass signed, for admission to meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the shareholders/proxy/representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.

UCO BANK

Head Office: 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

(To be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)

Regd. Folio No.		DPID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(if shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder/Proxy/ Representative present			

Date : …………….., 2017

जानबूझकर खाली छोड़ा गया
LEFT INTENTIONALLY BLANK

सुपुर्दगी नहीं होने पर कृपया इस पते पर लौटा दें :
मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
(यूनिट : यूको बैंक)
कार्वी सेलेनियम टावर बी,
प्लॉट सं. 31एवं 32, गचीबावली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा,
सेरीलिंगापल्ली,
हैदराबाद - 500 032

If undelivered, please return to :
M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd.
(Unit: UCO Bank)
Karvy Selenium Tower B
Plot No.31 & 32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda,
Serillingampally,
Hyderabad - 500 032

Printed by : Swapna, email : office@swapnaprinting.com